

प्रेस नोट दिनांक 13.07.2024

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ०नि० राजेन्द्र राम मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान वाद संख्या 942/22 धारा 128 जा० फौ० से संबंधित वारण्टी अभियुक्त नागेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू पुत्र जीतलाल नि०ग्राम जगदीशपुर लखरईया थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.नागेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू पुत्र जीतलाल नि०ग्राम जगदीशपुर लखरईया थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० श्री राजेन्द्र राम मय हमराह कां० गणेश यादव, कां० कमलेश कुमार थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।पगढ़ ।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

अवैध रूप से व्यापार कर रहे 03 पटाखा व्यापारी गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा आरोरियों को पटाखा तैयार करते हुए/ बोरे में भरते समय धर दबोचा

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधों की रोकथाम अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग के दिए गये थे सख्त निर्देश

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चेकिंग के दौरान थाना रानीगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत लच्छीपुर मस्जिद के ठीक सामने, ग्राम लच्छीपुर से पटाखा बनाने के लिए प्रयोग होने वाले अवैध विस्फोटक पदार्थ किये गये बरामद

कुल 31 निर्मित पटाखा, कुल 41 अर्द्धनिर्मित पटाखा, कुल 8 किलो 900 ग्राम केमिकल के साथ आरोपी फारूख, रऊफ, नवाब गिरफ्तार

फायर सर्विस टीम रानीगंज की सहायता से अर्ध निर्मित पटाखों/गड्डों व पटाखों में भरने वाले केमिकल किया गया बरामद

शादी समारोह का आर्डर लेकर उसमें आतिशबाजी करने हेतु जाते थे अभियुक्त

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले/ बेचने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज आदित्य सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री दीपक कुमार मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान प्राप्त सूचना पर दिनांक 12.07.2024 को 19.00 बजे क्षेत्रान्तर्गत लच्छीपुर मस्जिद के ठीक सामने, ग्राम लच्छीपुर से पटाखा बनाने के लिए प्रयोग होने वाले अवैध विस्फोटक पदार्थ, कुल 31 निर्मित पटाखा, कुल 41 अर्द्धनिर्मित पटाखा, कुल 8 किलो 900 ग्राम केमिकल के साथ 03 अभियुक्त, 01. फारूख पुत्र मो0 वशीर 02. रऊफ पुत्र मो0 वशीर 03. नवाब पुत्र मो0 नजीर निवासीगण लच्छीपुर थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 31 निर्मित पटाखा, कुल 41 अर्द्धनिर्मित पटाखा, कुल 8 किलो 900 ग्राम केमिकल बरामद किया गया। बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पुर मु0अ0सं0 262/24 धारा 5/9(ख) विस्फोटक अधि0 बनाम मो0 फारूख पुत्र मो0 वशीर, रऊफ पुत्र मो0 वशीर, नवाब पुत्र मो0 नजीर निवासीगण लच्छीपुर थाना रानीगंज का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम तीनों लोग मिलकर शादी में आतीशबाजी का आर्डर लेते हैं तथा उसी आर्डर के लिए यहीं पर पटाखे बनाकर ले जाकर आतीशबाजी करते हैं। पटाखों को तैयार कर बोरे में भर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. फारूख पुत्र मो० वशीर निवासी लच्छीपुर थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
02. रऊफ पुत्र मो० वशीर निवासी लच्छीपुर थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
03. नवाब पुत्र मो० नजीर निवासी लच्छीपुर थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01. कुल 31 निर्मित पटाखा बरामद।
02. कुल 41 अर्द्धनिर्मित पटाखा बरामद।
03. कुल 8 किलो 900 ग्राम केमिकल(काला रंग 2 किलो 200 ग्राम, पीला रंग 2 किलो 900 ग्राम, सफेद रंग 03 किलो 100 ग्राम, ग्रे रंग 700 ग्राम केमिकल बरामद)।

गिरफ्तार करने पुलिस टीम का विवरण-

01. उ०नि० श्री दीपक कुमार थाना रानीगंज, प्रतापगढ़
02. हे०का० अशरफ अली थाना रानीगंज, प्रतापगढ़
03. का० विकास बाबू थाना रानीगंज, प्रतापगढ़
04. का० राजकुमार झा थाना रानीगंज, प्रतापगढ़
05. म०का० सीमा थाना रानीगंज, प्रतापगढ़

06. म0का0 स्वाति वर्मा थाना रानीगंज, प्रतापगढ़

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत राजापुर तिराहा के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-

वादिनी/अभियोगिनी को आरोपीगण द्वारा 01 वर्ष पूर्व से मोबाइल फोन से बातचीत करने व शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं वादिनी के परिजनों द्वारा आरोपी से शादी की बात करने पर उसके व आरोपी के परिजनों द्वारा गाली गलौज करने एवं धमकी देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 11.07.2024 को मु0अ0सं0 261/24 धारा 376(2)एन, 504, 506 भादवि बनाम 04 अभियुक्त नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक श्री आदित्य कुमार सिंह थाना रानीगंज के नेतृत्व में उ0नि0 श्री अमित कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री श्याम नारायण तिवारी द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मु0अ0सं0 261/24 धारा 376(2)एन, 504, 506 भादवि से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, 1- सर्वेश कुमार पुत्र रामसेवक नि0

हरनाहरपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 10.07.2024 को 10.35 बजे थानाक्षेत्र रानीगंज के राजापुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- सर्वेश कुमार पुत्र रामसेवक नि० हरनाहरपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० श्री अमित कुमार सिंह मय हमराह उ०नि० श्री श्याम नारायण तिवारी का० अरविन्द सोनी थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने व धमकी देने के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना अन्तू पुलिस टीम ने थाना क्षेत्रान्तर्गत महमदापुर मोड़ के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-

थाना अन्तू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खैरा गौरबारी में आरोपीगण द्वारा वादी के नाम के फर्जी कूटरचित दस्तावेज बनाकर वादी के नाम पर ऋण लेने व धमकी देने के संबंध में वादी की

प्रप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 466/23 धारा 419,420,467,468,471,506
भादवि बनाम 03 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैश के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी अन्तू के नेतृत्व में दिनांक 13.07.2024 को थाना अन्तू के उ0नि0 राकेश चौरसिया मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 466/23 धारा 419,420,467,468,471,506 भादवि से संबंधित अभियुक्त सुशील पाठक पुत्र राधेश्याम पाठक निवासी ग्राम खैरा गौरबारी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ को थानाक्षेत्र अन्तू के महमदापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 466/23 धारा 419,420,467,468,471,506 भादवि थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- सुशील पाठक पुत्र राधेश्याम पाठक निवासी ग्राम खैरा गौरबारी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राकेश चौरसिया मय हमराह उ0नि0 अनुपम पटेल, का0 संदीप यादव, का0 जितेन्द्र यादव थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ ।